

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर

(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 2351030002542016

दांडिक प्रकरण क.-592 / 16

संस्थापित दिनांक-16.12.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन	
विरुद्ध	
01-नातीराजा उर्फ केहर सिंह पुत्र पदम सिंह बुंदेला उम्र 24 साल 02-के.पी. उर्फ कृष्णपाल सिंह पुत्र राजपाल सिंह बुंदेला उम्र 20 साल 03-विक्रम सिंह उर्फ गोलूराजा पुत्र छत्रपाल सिंह बुंदेला उम्र 25 साल निवासीगण टोडा, चंदेरी। 04-वफाती खां उर्फ वाती पुत्र शब्बू खां मुसलमान उम्र 28 साल निवासी बारी, चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0।आरोपीगण	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा	:- श्री चौरसिया अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 05.08.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 452, 294, 323, 324, 341, 506, 34 के विचारण

हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी एवं आहत से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादवि की धारा 294, 323—दो बार, 341, 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 452, 324 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी मोहर सिंह ने दिनांक 12.09.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को उसके चाचा की दुकान पर शाम को 6 बजे वफाती तथा गोलू से सामान सामान लेने के उपर से विवाद हो गया था तथा गाली गलौच हो गई थी। उस बात को लेकर सभी आरोपीगण उसके घर में घुस आए और उसे मां—बहन की बुरी—बुरी गालियां देने लगे और गोलू ने उसे मुक्कों से मारा जिससे उसे चोट आई। उसका लडका सौरभ उसे बचाने आया तो उसको केपी ने सिर में लाठी मारी जिससे उसे खून आ गया। सभी आरोपीगण ने उसके साथ एवं उसके लडके के साथ मारपीट की और कह रहे थे कि मादर चोदों को और मारो। और जब वे रिपोर्ट करने आने लगे तो उन्हें रिपोर्ट करने जाने पर से रास्ता रोककर जान से मारने की धमकी देने लगे। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 440/16 के अंतर्गत भादवि की धारा 452, 294, 323, 341, 324, 506, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 452, 341, 323—दो बार, 324, 506 भाग—दो, 34 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ

किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 11.09.16 को समय 21.00 बजे फरियादी के मकान के अंदर, ग्राम बारी चंदेरी पर अन्य सहअभियुक्त के साथ सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में फरियादी मोहर सिंह के घर में घुसकर उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?
2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सौरभ को धारदार वस्तु से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 मोहर सिंह, अ.सा. 02 सौरभ की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 मोहर सिंह ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को आरोपीगण से उसकी धक्का मुक्की हो गई थी जिसमें गिरने से उसे चोट आ गई थी। अ.सा. 02 सौरभ ने भी अपने कथन में बताया है कि आरोपीगण से उसके पिता का वाद-विवाद हो गया था और धक्का मुक्की हो गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने बीच बचाव किया था। अ.सा. 01 व अ.सा. 02 ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को

आरोपीगण उनके साथ मारपीट करने के लिए उनके घर में घुस आए थे। उक्त साक्षीगण ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने धारदार हथियार से मारपीट की थी। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि एक भी साक्षी ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी के घर में घुसकर मारपीट की गई। एक भी साक्षी ने अपने कथन में यह भी नहीं बताया है कि आरोपीगण द्वारा धारदार हथियार से मारपीट की गई।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 452, 324/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)